न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, म.प्र.

(10)

रिव्यु-2656-II-16

ददउआ उर्फ ददुआ राजपूत पिता स्व. जगतदेव राजपूत, निवासी ग्राम सोनौरा, तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना म.प्र. .... आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन .... अनावेदक

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 माननीय न्यायालय के राजस्व अपील क्र.–361(2)/2015 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2016

मान्यवर,

उपरोक्त सन्दर्भ में आवेदक निम्नलिखित आधार पर पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनयी है :–

01. यह कि आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की आ.नं.–155 एवं 156 के संबंध में इस आधार पर अपील प्रस्तुत की गई थी कि उक्त आराजी आवेदक के पूर्वज जगतदेव के पट्टे एवं भूमिस्वामी की आराजी थी, जिसके संबंध में उसके पूर्वज को संवत् 1982–2002 का पट्टा भी रीवा रियासत के आधार पर प्राप्त हुआ था, जिससे वैधानिक स्वामित्व के अन्तर्गत पट्टे के समय से अभिलिखित भूमिस्वामी होकर काबिज है, जिसके संबंध में हल्का पटवारी द्वारा खसरे में बिना किसी सक्षम आदेश के म.प्र. शासन अंकित कर दिया गया और कालम नं.–12 पर आवेदक के कब्जे की पुष्टि की गई, जिससे पटवारी द्वारा किया गया इन्द्राज पूर्णतः दोषपूर्ण है।

क्रमशः.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2656–दो/16 **जिला –सतना**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
3-11.16	आवेदक की ओर से श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक अपील 361–तीन/15 में पारित आदेश दिनांक 23.5.16 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 2656–दो/16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 361–तीन/15 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 23.05.16 से किया जा चुका है। 4–रिव्यु प्र0 क0 2656–दो/16 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही	

आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य